प्रेस विज्ञप्ति

08/08/2025

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), दिल्ली ज़ोनल कार्यालय ने एक वैश्विक साइबर धोखाधड़ी मामले की चल रही जाँच के संबंध में 06/08/2025 और 07/08/2025 को दिल्ली, नोएडा और देहरादून में 11 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। जाँच से पता चला कि विदेशी और भारतीय नागरिकों को धोखेबाजों (जो भारत में अवैध कॉल सेंटर चला रहे थे) ने खुद को पुलिस/जांच अधिकारी बताकर ठगा और उनकी नकदी हड़प ली, उन्हें गिरफ्तारी या अन्य परिणामों की धमकी दी। अपराध की आय (पीओसी) क्रिप्टो-करेंसी वॉलेट के एक नेटवर्क के माध्यम से भेजी गई थी।

ईडी ने सीबीआई, नई दिल्ली और दिल्ली पुलिस द्वारा दर्ज विभिन्न एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की।

मामले की कार्यप्रणाली से पता चला है कि आरोपियों ने नोएडा-दिल्ली स्थित कॉल सेंटर के ज़रिए पीड़ितों से संपर्क किया और उन्हें क्रिप्टो-वॉलेट के ज़रिए अपनी वित्तीय संपत्ति हस्तांतरित करने के लिए प्रेरित किया। आरोपियों ने कई क्रिप्टो वॉलेट में बिटकॉइन प्राप्त किए। क्रिप्टो वॉलेट के ज़रिए पीड़ितों द्वारा हस्तांतरित धनराशि को आरोपियों के विशिष्ट क्रिप्टो वॉलेट में एकत्रित किया गया, जिसे बाद में यूएई में यूएसडीटी में निकाल लिया गया।

तलाशी की कार्यवाही में संयुक्त अरब अमीरात में कई संपत्ति लेनदेन, विदेशी बैंक खाते और कई क्रिप्टो-वॉलेट में जमा पीओसी का खुलासा हुआ। आरोपियों के कब्जे से डिजिटल उपकरणों आदि के रूप में अपराध-संकेती सामग्री बरामद कर उसे जब्त कर लिया गया। तलाशी की कार्यवाही के दौरान संयुक्त अरब अमीरात में अचल संपत्तियों की पहचान की गई। इसके अलावा, हवाला के माध्यम से कई सीमा पार नकद लेनदेन, क्रिप्टो-वॉलेट में निवेश, संयुक्त अरब अमीरात स्थित कई विदेशी संस्थाएँ, भारत में रियल एस्टेट और रेस्टोरेंट व्यवसाय में निवेश से संबंधित विवरण भी तलाशी के दौरान सामने आए।

आगे की जांच जारी है।